



ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00147

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 19/2017

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा)  
एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर  
बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मेधराज  
मै. मेधराज ओमप्रकाश, पुरानीधान मण्डी, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 12.12.2017

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 03.05.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 27.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानवृत्त दिनांक 31.05.2016) दिनांक 03.05.2016 को दोपहर 2:10 पी.एम. पर फर्म मै. मेधराज ओमप्रकाश, पुरानी धानमण्डी, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर पहुंचे एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म मेधराज ओमप्रकाश, रायसिंहनगर पर श्री ओमप्रकाश पुत्र मेधराज निवासी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को (घी) हरियाणा किंग विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ (घी) हरियाणा किंग के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान में गते के कार्टून में बिक्री हेतु रखे हुए (घी) हरियाणा किंग 4x500 ml pkd



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

pkt खरीद घी (हरियाण किंग) की कीमत 800/- रुपये अदा की एवं खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। तत्पश्चात खरीद शुदा (घी) हरियाणा किंग को चारो नमूना पैकेट पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप K-718 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता ओमप्रकाश ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1197/एक्ट/2016/1944 दिनांक 23.05.2016 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-718 (घी) हरियाणा किंग अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री ओमप्रकाश मेधराज रायसिंहनगर में, मेधराज ओमप्रकाश, पुरानी धानमण्डी, रायसिंहनगर द्वारा अमानक स्तर (घी) हरियाणा किंग का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.09.2017 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस (घी) हरियाणा किंग का नमूना जांच हेतु लिया था उसका बिल मेरे पास नहीं था। भविष्य में मैं बिना बिल का माल नहीं बेचूंगा एवं इस प्रकार के Sub Standard घी का विक्रय नहीं करूंगा। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया (घी) हरियाणा किंग सैम्पल के-718 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1197/एक्ट/2016/1944 दिनांक 23.05.2016 द्वारा सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 02- Rrichert Value = 10-09 पाया गया जबकि Ghee as per Regulation No. 21-10[2] होना



अतिरिक्त जिला कलेक्टर (परिवाद)  
श्रीगंगानगर

चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि मैं मैं बिना बिल का माल नहीं बेचूंगा एवं इस प्रकार के Sub Standard घी का विक्रय नहीं करूंगा। अतः लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया (घी) हरियाणा किंग Sample of "Ghee (Made in Ghee" bearing Code No. and Sr. No. K-718 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganaganagar is **Substandard** as it does not meet to the prescribed provisions as per Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulation, 2011. जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000-00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में (घी) हरियाणा किंग बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



12/12/17  
(नखतदान बारहठ)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक) एवं  
श्रीगंगानगर